न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 23/2020

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. प्रकाश सिंह पुत्र गज्जन सिंह जाति तरखान निवासी चक 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. अवतार सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति तरखान निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ। 2. औकार सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति तरखान निवासी 22 पी एस तहसील रायसिंहनगर। 3. नसीब कौर पुत्री सरजीत सिंह जाति तरखान निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ। 4. विक्रमजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति तरखान निवासी 22 पीएस तहसील रायसिंहनगर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसील श्रीकरणपुर। 6. उप पंजीयक, उप तहसील केसरीसिहपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:- 12.05.2020

उपस्थितः 1.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री मदन लाल पटीर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 4

--निर्णय--   **दिनांकः** 31/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 20/18 के मुरब्बा नम्बर 13, 34, 47, 48, 49, 51, 60/41, 60/43 की कुल 17.703 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी 164/1967 हिस्सा नहरी मय खाला रकबा का मालिक खातेदार हिस्सेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने आज से करीब 1 माह पहले अप्रार्थी संख्या 2 अवतार सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 औकार सिंह, प्रतिवादी संख्या 18 नसीब कौर व प्रतिवादी संख्या 32 विक्रमजीत सिंह को कहा की अपने उक्त रकबा में आपस में घरू तौर पर किला वाईज बंटवारा करके बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] करवा लेवे। जिस पर उक्त अप्रार्थीगण आज कल कह कर टाल मटोल करते [illegible] साफ साफ इनकार कर दिया। उक्त चारों अप्रार्थीगण ने एकतरफा कहा कि हम उक्त [illegible] में से अपना हिस्सा का बिना घरू बंटवारा किला वाईज किये अच्छी-अच्छी जमीन किला वाईज बेचान करके कब्जा अन्य किसी को सौंप देगे। अगर उक्त चारों अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या

31/03/21 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:33:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकाश सिंह बनाम अवतार सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 23/2020

20/18 के मुरब्बा नम्बर 13, 34, 47, 48, 49, 51, 60/41, 60/43 की कुल 17.703 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से अपने हिस्सा में आई भूमि का बिना घरू बंटवारा किये किला वाईज किसी अन्य को बेचान करने व कब्जा सौपने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल पटीर उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार यह कहना गलत है कि प्रार्थी ने करीब 1 माह पहले अप्रार्थीगण अवतार सिंह, औकार सिंह, नसीब कौर, विक्रमजीत सिंह को दोबारा घरूतोर पर किलावाईज बंटवारा करके राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने को कहा हो। जबकि सही तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण संख्या 2,3,18,32 का कब्जा मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6 व 15 पर है। अप्रार्थीगण कई वर्षो से मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 6 व 15 पर अपनी काश्त करते आ रहे है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण ने एलानिया कहा कि हम उक्त रकबा में से अपना हिस्सा का बिना घरू बंटवारा किला वाईज किये अच्छी-अच्छी जमीन किला वाईज बेचान करके कब्जा अन्य किसी ओर को सौंप देगे। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। पत्रावली प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 चक 11 एस के खाता संख्या 20/18 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया एंव अवलोकन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलोकन किया। हम प्रकरण का निर्णयन निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर करना विधिसंगत समझते है:-

<u>1.प्रथम दृष्टया मामला</u>:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। चूंकि खाता संख्या 20/18 की कुल रकबा 17.703 हैक्टर आराजी में से प्रार्थी की राजस्व रिकॉर्ड में 1.476 हैक्टर तथा शेष अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूकिं प्रार्थी स्वंय अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का दावा हाजा न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थी के हक हिस्से तक दावा डिक्री होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपने-अपने हक हिस्से तक प्रार्थी का साबित होता है।

<u>2.सुविधा का संतुलन</u>:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य [illegible] व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चुकिं भू-अभि[illegible]कन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है। [illegible] प्रार्थी का कुल आराजी 17.703 हैक्टर में से 1.476 हैक्टर हिस्सा है, और यह [illegible] सिद्धान्त है कि जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक सह[illegible]दारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपने हिस्से तक कब्जा माना जाता है, तथा वह उसके उपयोग एंव उपभोग में होता है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी/वादी के पक्ष साबित होता है।

31/03/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रकाश सिंह बनाम अवतार सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए, प्रकरण संख्या 23/2020

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष के साबित हो चुके है। तथा साथ ही प्रार्थी द्वारा शपथपत्र पर यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तातंरण किया जा सकता है। और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो प्रकरण के सम्यक निर्णयन में जटिलता अवश्यंभावी आयेगी। क्योंकि बेचान/हस्तातंरण होने से नये खातेदार जुडेगें, वाद में नये पक्षकार संयाजित होगें। मौके की स्थिति में बदलाव हो सकता है। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादपत्र को निर्धारित करने में जटिलता हो सकती है। इसलिए वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखा जाना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव प्रार्थी को होने की प्रबल आशंका है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादी/प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 20/18 की कुल 17.703 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में विशिष्ट किलावाईज बेचान/हस्तान्तरण नहीं करे। अपना हिस्सा बेचने पर रोक नहीं होगी। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:53:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 की मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

31/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)